

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... ता० ..... से .....  
 जिला ..... **दा० खा० वाड सं०** **411/5**

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
	<p>श्री <b>दा० खा० वाड सं०</b> <b>दा० खा० वाड सं०</b></p> <p>पत्तन <b>दा० खा० वाड सं०</b> ग्राम <b>दा० खा० वाड सं०</b></p> <p>थाना <b>दा० खा० वाड सं०</b> जिला <b>दा० खा० वाड सं०</b></p> <p>पां थाला नं० <b>दा० खा० वाड सं०</b> दिनांक .....</p> <p>मे आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा का नाम</th> <th>शौजी नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खसरा</th> <th>एराजी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>दा० खा० वाड सं०</b></td> <td>-</td> <td>11</td> <td>41</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र इत्यादि कागिरी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर।                  अभिलेख दिनांक <b>30/4/12</b> को उपस्थित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी <b>अंचल अधिकारी</b></p> <p>महाल पर नामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।                  कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुरांसा किये हैं। फलतः उनके अनुरांसा के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है। शक्ति पत्र विहित कर।</p> <p>दिनांक <b>दा० खा० वाड सं०</b></p>	मौजा का नाम	शौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी	<b>दा० खा० वाड सं०</b>	-	11	41		<p><b>MS</b></p> <p><b>MS</b></p> <p><b>MS</b></p> <p><b>MS</b></p>
मौजा का नाम	शौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी								
<b>दा० खा० वाड सं०</b>	-	11	41									